

“तारागढ़ झुलपुर के गौड़ राजाओं के राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि”

(मण्डला जिले नैनपुर तहसील के विशेष संदर्भ में)

श्रीमती सुन्दरवती यहके

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग) शासकीय महाविद्यालय मेंहदवानी जिला—डिन्डौरी (म.प्र.)

सारांश :-

मध्यप्रदेश मण्डला जिले का गौड़ राजवंश 664 ई.से प्रारंभ होता है। जिले के कई मंदिरों में लगे ग्रेनाईट पत्थरों पर गौड़ों का उल्लेख हुआ है। गौड़ पूर्वजों को यहां सम्मान से गौड़ बाबा और उनके निवास स्थान को गौडवानी कहा जाता है। ये लोग अधिकतर अपना मनोरंजन खेतों एवं जंगलों में करते थे। जनपद, जनमानस में यह धारणा है। कि गौड़ आदिवासी अपना बहुत सा चांदी, सोना, बर्तन, मिट्टी बर्तन इत्यादि जमीन में दबाकर रखा है। कहा जाता है, कि अंग्रेजों के साथ युद्ध से पहले उन्हें पता चल चुका था कि अंग्रेजों द्वारा उनके सम्पत्ति लूटकर विदेश ले जायेंगे। इसके कारण चांदी, सोना, बर्तन, एवं मिट्टी के बर्तन को जमीन के अन्दर दबाकर रखना पड़ा जो आज साक्ष्य के रूप में देखने को मिलते हैं। इसी कारण मध्य भारत के एक बहुत बड़े भू-भाग को गौडवाना के नाम से जाना जाता है। इसे पहले गढ़ा भी कहते थे, इस तरह गौड़ राजाओं ने 15 वीं सताब्दी में 4 महत्वपूर्ण गौड़ सप्ताह्य स्थापित किये थे, जिन्हे खेरला, गढामण्डला, देवगढ़, और चांदागढ़, प्रमुख थे। गौडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती, राजगौड़ राजवंश के रानी थी। तारागढ़ झुलपुर की तारादेवी, जूनादेवी तथा महाराजा भोजराज दुर्गावती के जनपद से संबंधित थे। लेकिन शोधार्थीओं के द्वारा इसका जिक्र मण्डला के पर्यटन क्षेत्रों में आज तक नहीं लिखा गया, वहां के साक्ष्यों से पता चलता है, कि वहां गौड़ राजाओं के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभ्यता की पहचान अलग ही दिखाई देती है। जिसे देखकर हम उनकी परस्थितियों को प्रकाशित कर सकते हैं।

कुछी शब्द :— आदिवासी गौड़राजा, सभ्यता, जीवनयापन, आर्थिक विकास, साक्ष्य

प्रस्तावना :-

मण्डला जिले के नैनपुर तहसील का ग्राम तारागढ़ झुलपुर जिसमें आदिवासी राजाओं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तारागढ़ झुलपुर गौड़रानी तारादेवी के नाम पर रखा गया है। वहां की एक प्रसिद्धि यह कि अंग्रेजों के समय में जब यहां के राजा तथा आदिवासी रानी दुर्गावती से युद्ध हुआ था। उस समय आक्रमण के कारण तारागढ़ का महल ध्वस्त या गिर गया। वहां के निवासियों द्वारा बताया जाता है, कि तारागढ़ महल का संबंध मण्डला किला नामनगर से था। आमजन ये भी कहते हैं, कि तारागढ़ से मण्डला किला तक आने-जाने का रास्ता था। एक सुरंग के माध्यम से आदिवासी राजाओं का आना-जाना होता था जिकसे बहुत सारे ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं। जिसे निहारने से लगता है कि आदिवासी गौड़राजों की परंपरा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बहुत ही आकर्षक है। जो आज तक किसी अनुसंधान कर्ताओं द्वारा आज तक कोई जिक्र नहीं किया। मण्डला से 20 कि.मी. दूरी होने के कारण किसी शोधार्थी का ध्यान आकर्षित नहीं किये और किसी भी पुस्तक में इसके बारें में नहीं लिखा गया। इस साक्ष्यों से उनके शासन चालाने तथा शासन करने एवं सामाजिक व्यवस्था का समझ में आती हैं। जो लुप्त हो चुके हैं। उन्हें जाज्वल्यामान करने आवश्यकता है।

तारागढ़ झुलपुर का समान्य परिचय :-— तारागढ़ झुलपुर आदिवासी क्षेत्र हैं। वहां गैर आदिवासी न के बराबर पाई जाती है। यह एक छोटा सा गांव है, मण्डला जिले के नैनपुर तहसील के अंतर्गत आता है। तारागढ़ झुलपुर को जो रास्ता है। यह घनसौर रोड ग्राम भिलाई से अंदर की ओर जाना पड़ता है। वर्तमान तारागढ़ झुलपुर का विधायक माननीय देवसिंह सैयाम जी चुनाव में विजय हुए हैं। हम इस क्षेत्र की शिक्षा के स्तर की बात करें तो उनकी स्थिति निम्न साथ ही आर्थिक स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं हैं। इस प्रकार तारागढ़ झुलपुर में जनवरी माह में 3 दिवसीय मेला का आयोजन बसंत पंचमी के अवसर पर लगाया जाता है। इस मेले में आस-पास सभी क्षेत्रों के लोगों का आंगमन होता है। इस जगह में मेला लगाने का उद्देश्य तारागढ़ महल तथा खेल प्रतियोगिताएं जैसे:- फुटबॉल, बॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो, कुर्सी दौड़ आदि मेले के बहाने लोग तारागढ़ झुलपुर तारादेवी महल देखने आते हैं।

प्रमाणित साक्ष्य :- 1. गुरिया 2. ओखली 3. हवन कुण्ड 4. विवाह 5. नगाड़े 6. महल का गिरा भाग।

गुरिया :-— तारागढ़ झुलपुर तारादेवी का क्षेत्र लगभग 5–10 मीटर में फैला हुआ है। वहां के आस-पास के क्षेत्रों में गुरिया मिलती है। वह गुरिया कि विशेषता यह है कि वह गुरिया काला रंग, उसके आस-पास धागानुमा सफेद पट्टी, बीच में छिद्र होता है। इस गुरिया की वजन 10 ग्राम लगभग और इसकी मूल्य 80 हजार से 1 लाख होता है। तारागढ़ झुलपुर के आस-पास जितने भी गांव हैं। उस सभी गांव में 5 कि.मी. के क्षेत्रफल में खुदाई के दौरान, जानने वाले व्यक्ति के लिये चलते फिरत गुरिया मिल जाता है। सभी लोग अपने खेतों की खुदाई करते रहते हैं। और ये गुरिया प्राप्त करते हैं। जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था बनी रहती है। इन गुरियों का सही मूल्य किसी को नहीं पता। वहां बाहर से लोग आते हैं और सस्ते कीमत पर खरीद कर ले जाते हैं। इन गुरियों को बाहर विदेशों में विक्रय किया जाता है। लेकिन इन गुरियों का उपयोग किस लिये किया जाता है। इसका अनवेषण अभी जारी है। जो लोग इसका क्रय करते हैं। उनसे पूछने पर भी अभितक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है।

उखरी (ओखली) :- उखरी का तात्पर्य यह है कि लकड़ी/पत्थर को वृत्ताकारनुमा एक या आधा फिट गहरा कोटर बना लिया जाता है। उसे उखरी कहा कहते हैं। मूसल जो लकड़ी का बना होता उसके नीचे लोहे की पट्टी लगाई जाती है। यह 3 फिट लम्बा होता है। जिसके माध्यम से पूर्वज आदिवासी गौड़ रानियां कोदो, कुटकी, को कूटने का कार्य करती थी। उस समय में उनके पास चक्की मशीन की सुविधाएं नहीं थी। इसलिये अपने दैनिक भोजन की व्यवस्था उन्हीं से करती थी। ये साक्ष्य अभी भी विद्यमान हैं इससे पता चलता है, कि पुराने जमाने में गौड़राजा अपने ही घर में सारे कार्य किया करते थे। व्यवसायी लोगों को कीमत देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तथा उनकी आर्थिक व्यवस्था भी बनी रहती थी।

हवन कुण्ड :- हवन कुण्ड को देखकर यह पता चलता है। कि आदिवासी गौड़राजाओं द्वारा हवन भी किया जाता था। चाहे वह विवाह में या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो हवन कुण्ड में धूप दी जाती थी और आज भी गौड़ आदिवासियों में छैना (गोबर का कण्डा) से ही धूप दिया जाता है। उन साक्ष्यों को देखकर यह प्रतीत होता है। कि सभी गौड़राजा एक-दूसरे के यंहा पंरपरा निभाने के लिये एकत्रित होते थे। तथा सामाजिक कार्य करते थे। गौड़ आदिवासियों में एक आदिवासी वैद्य होता था, और वर्तमान में भी यही परम्परा है। इनके द्वारा सारे काम नियम से किये जाते हैं। साथ ही जो भी दान दक्षिणा होता है। उसे ही दिया जाता है। ताकि कोई गैर आदिवासी को कार्य का मूल्य देने की जरूरत नहीं पड़ती। और गौड़ राजाओं की आर्थिक स्थित बनी रहती थी।

विवाह:- गौड़ आदिवासी राजाओं की पंरपरा विवाह की पंरपरा गैर आदिवासियों से अलग होती थी। उन्हें 1 से ज्यादा रानियों से विवाह करने की पंरपरा थी तथा रानियों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। मण्डला जिले के गौड़राजाओं के बारे में अध्ययन करने से पता चलता है। कि वे निम्न प्रकार से विवाह कर सकते हैं।

1. एक विवाह
2. बहु विवाह
3. अन्तर्जातिय विवाह

एक विवाह :— मण्डला जिले के गौड़ राजाओं द्वारा एक विवाह भी किया जाता था।

बहु विवाह :— अधिकतर गौड़ आदिवासी राजाओं द्वारा बहु विवाह किया जात है। तथा उनके बाद बहु विवाह रही होगी आदिवासियों में प्रचलन रही लेकिन वर्तमान समय में सरकार के योजनों से प्रेरित होकर बहु विवाह नहीं किया जाता यह नाम मात्र के लिये बचा है।

अन्तर्राजातीय विवाह :— रानीदुर्गावती राजपूत राजवंश की रानी थी। लेकिन राजकुमारी दलपत शाह के गुणों स प्रभावित होकर उनसे विवाह की इच्छा जाताई लेकिन रानीदुर्गावती के पिता गौड़वंश होने के कारण सहमति नहीं दी लेकिन दलपत शाह के पिता रानीदुर्गाती को अपन घर की रानी बनाना चाहते थे। और वह गौड़ वंश की रानी बन गई। जो अंतर्राजातीय विवाह में आता है। इससे लगता है। गौड़ आदिवासी राजाओं में अंतर्राजातीय विवाह की थी साथ ही किसी प्रकार के अर्थ व्यवस्था का नुकसान भी नहीं हुआ।

नगाड़े :— गौड़ आदिवासी राजाओं के पंरपरा का एक अंग माना जाता इसके द्वारा कोई भी शुभ कार्य या अशुभ कार्य नहीं किये जाते थे, जैसे विवाह, बच्चे का जन्म, देवी देवताओं का पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मृत्यु इत्यादि इन सभी कार्यों में नगाड़े वादयंत्र को बहुत ही शुभ मानते हैं। अगर इस वादयंत्र को शामिल नहीं किया जाता तो मानते हैं, कि देवी प्रसन्न नहीं हुई है। इस प्रकार इस वादयंत्र को देखने से लगता है। गौड़ आदिवासी राजाओं में नगाड़े वादयंत्र की पंरपरा प्रचीन समय से चली आ रही है। साथ ही इन्हे लगता है। वर्तमान समय में जितने भी गौड़ आदिवासी राजाओं की पंरपरा है उन्हें लुप्त होने से बचाने या संरक्षित करने की आवश्यकता है। इससे आदिवासी सामाज की पंरपरा के साथ—साथ उनका पैसा भी बना रहना चाहिए ताकि सभी आदिवासियों द्वारा इस वादयंत्र का लाभ मिल सके। और हमारी पंरपरा सदियों से चली आ रही हैं। वह भी बनी रहे ताकि आदिवासी समाज का आर्थिक लाभ समाज को ही मिलती रहे।

अन्य :—

जलाशय कुण्ड :— जलाशय कुण्ड उस कुण्ड को कहते हैं। जहां गौड़ आदिवासी राजा वंहा के जल को गौड़ देवी-देवाओं में सम्पूर्ण सम्पत्ति को शुद्ध करने में किया करते थे। यह भी माना जाता है। कि वंहा का पानी इस जलाशय कुण्ड में हमेशा उपलब्ध रहता है।

शिल्पकला :— शिल्पकला उसे कहते हैं। जो पत्थरों में दोस दियोमिर बनाये जाते हैं इसके साथ तारागढ़ झुलपुर स्थान पर खुदाई के दौरान जो पत्थर निकाले गये हैं वे अति प्राचीन हैं। इससे यह कह सकते हैं, कि गौड़ राजा शिल्पकला का कार्य करते थे। या कारीगर के माध्यम से कराये जाते थे।

नगाड़े दोहार/थावं बांध :— नगाड़े दोहार/थावं बांध को पुराने समय में नगाड़े दोहार के नाम से जानते थे वर्तमान समय में थामर बांध बनने के कारण इसे थावं बांध कहने लगे हैं। नगाड़े दोहार कहने के पीछे एक राज छुपा हुआ है। कहा जाता है कि नगाड़े दोहार में आदिवासी गौड़ों का पूरा बरात वर, वधू सहित सभी ढूब गये थे। तब से नगाड़े दोहार नदी को नगाड़े दोहार कहा जाने लगा। लोगों का मानना है कि कभी—कभी इसी नदी में नगाड़े की आवाज सुनाई देती है।

निष्कर्ष :-

मण्डला जिले के गौड़ आदिवासी राजाओं के वंशजों का एक अंश तारागढ़ झुलपुर में विद्यमान है। वंहा के साक्ष्यों से पता चलता है। कि गौड़ वंशज तारागढ़ झुलपुर में आदिकाल प्राचीन काल में निवासरत रहे होंगे अंग्रेजों के आक्रमण एवं तोड़ फोड़ से तारागढ़ झुलपुर का महल जमीन में नीच धस गया है। साथ ही महल वर्षा के समय चारों ओर से नदी के पानी से घिरा रहता है। इस नदी को नगाड़े दोहार प्राचीन समय में कहते थे। वर्तमान समय में थावं बांध कहते लगे इस प्रकार तारागढ़ झुलपुर विख्यात होने बाद भी वहां के गौड़ राजाओं के बारे में किसी इतिहास में उल्लेख नहीं है। हमारा उद्देश्य है, कि हम इस लुप्ल गौड़ आदिवासी राजाओं के महल, उनका क्षेत्र, थावं बांध को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तक प्रासारित होना चाहिए इसके साथ ही गौड़ राजाओं, के ऐतिहासिक धरोहर तारागढ़ झुलपुर को एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक पर्यटन घोषित की जानी चाहिए जिससे सरकार की निगरानी एवं संरक्षण प्राप्त हो सके, इन्हीं बिन्दुओं पर शोध की महत्व भूमिका आधारित है।

संदर्भ सूची :-

1. कृपाल सिंह गौड़: कावेरी टोला झुलपुर वार्ड मेंबर, तह. नैनपुर, जिला मण्डला, म.प्र. उम्र 50, 12/03/2023।
2. नवल सिंह गौड़: कावेरी टोला झुलपुर भूतपूर्व उपसरपंच, तह. नैनपुर, जिला मण्डला, म.प्र. उम्र 65, 18/03/2023।
3. गोविन्द सिंह गौड़: कावेरी टोला झुलपुर कृषक मित्र, तह. नैनपुर, जिला मण्डला, म.प्र. उम्र 55, 12/03/2023।
4. मुलिया बाई गौड़: रामदेवरी, झुलपुर ग्राम की बुर्जुग महिला, तह. नैनपुर, जिला मण्डला, म.प्र. उम्र 80, 02/04/2023।
5. गीता बाई गौड़: कावेरी टोला झुलपुर जागरूक आम नागरिक, तह. नैनपुर, जिला मण्डला, म.प्र. उम्र 45, 22/04/2023।